शोध मंथन Vol. XVI No.2 Apr.- June. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.46

बदलते परिवेश के बीच किन्नर जीवन का सच

प्राप्तिः 05.04.2025
स्वीकृतः 22.05.2025

46

आकृति
शोधार्थी (हिंदी विभाग)
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या)
विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
ईमेलः akriti935@gmail.com

डॉ. बिंदू कनौजिर्या
शोध निर्देशक (हिंदी विभाग)
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या)
विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सारांश

भारतीय समाज में किन्नर समुदाय (ट्रांसजेंडर/हिजड़ा) एक लंबे समय से अस्तित्व में है, परंतु यह समुदाय अक्सर सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव और बहिष्करण का शिकार रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। हिंदी साहित्य में भी अनेक विद्वानों ने किन्नर समुदाय को अपनी लेखनी का विषय बनाकर इन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने का कार्य किया है। फिर भी किन्नर समुदाय की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यह शोध–पत्र इसी द्वंद्व पर केंद्रित है– एक ओर संवैधानिक अधिकारों और नीतिगत बदलावों की रोशनी और दूसरी ओर समाज की संकीर्ण सोच की गहराई। ''बदलते परिवेश के बीच किन्नर जीवन का सच'' केवल एक सामाजिक अध्ययन नहीं, बल्कि एक संवेदनात्मक प्रयास है– उस समुदाय की आवाज़ बनने का जो वर्षों से चुपचाप अन्याय सहता आया है। इस शोध में हम न केवल किन्नर जीवन की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार एक समावेशी, समानतावादी और गरिमामय समाज की स्थापना की जा सकती है।

मुख्य बिंदु

किन्नर समुदाय, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिंदी साहित्य और किन्नर विमर्श, किन्नर समुदाय की संवैधानिक स्थिति, सुधार, सुझाव, निष्कर्ष।

प्रस्तावना–

भारतीय समाज विविधताओं का संगम है, जहाँ धर्म, जाति, भाषा और लिंग की बहुलता ने एक समृद्ध सामाजिक संरचना को जन्म दिया है। इसी विविधता में एक ऐसा वर्ग भी है, जिसे सदियों से उपेक्षा, तिरस्कार और हाशिये पर जीने के लिए मजबूर किया गया– वह वर्ग है किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर समुदाय। किन्नर शब्द का अर्थ है– जो न पुरुष होते हैं और न स्त्री। "किन्नर या हिजड़ा से अभिप्राय उन लोगों से है जिनके जननांग पूरी तरह विकसित न हो पाये हों।"

भारत में किन्नरों की उपस्थिति कोई नई नहीं है। प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इनके अस्तित्व के कई प्रमाण मिलते हैं। कभी ये राजदरबारों के प्रमुख अंग हुआ करते थे, तो कभी देवी–देवताओं की पूजा–पद्धतियों में इनकी भागीदारी को शुभ माना जाता था। किंतु समय के साथ–साथ समाज का दृष्टिकोण बदलता गया और किन्नर समुदाय को हाशिये पर ढकेल दिया गया।

आधुनिक युग में जहाँ एक ओर विज्ञान, तकनीक और मानवाधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आज भी किन्नर समुदाय को सामाजिक अस्वीकार्यता, आर्थिक तंगी, शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में इनकी पहचान प्रायः भिक्षा मांगने, नाच–गाने या विवाह और जन्म के अवसरों पर शुभकामनाएँ देने तक सीमित कर दी गई है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकार भी इनके लिए सुलभ नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में परिवर्तन की कुछ सकारात्मक झलकियाँ अवश्य दिखाई दी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ''थर्ड जेंडर'' की मान्यता, ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, और कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि बदलाव की गति धीमी है और सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित सुधार अब भी दूर की बात प्रतीत होता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–

भारत का इतिहास यदि विविधताओं और सहिष्णुता का प्रतीक रहा है, तो उसमें किन्नर समुदाय की भूमिका भी अनदेखी नहीं की जा सकती। किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों, धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक शिलालेखों में मिलता है। यह समुदाय समाज का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन समय के साथ–साथ उनके स्थान और सम्मान में भारी गिरावट आई।

1. प्राचीन भारत में किन्नर समुदाय–

प्राचीन भारत में लिंग की पहचान को बहुत हद तक लचीलेपन के साथ देखा जाता था। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में 'तृतीय लिंग' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

"इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान राम के वनवास से संबंधित है। कहा जाता है कि कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने युवराज राम को 14 साल के लिए वन गमन का आदेश सुनाया तो भगवान राम की पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण उनके साथ अयोध्या छोड़कर वापस वनवास गये थे। भरत को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अयोध्यावासियों के साथ राम को मनाने चित्रकूट गये थे। वहाँ उनके साथ किन्नर भी गये थे। वहाँ राम की आज्ञा से अयोध्यावासी तो अयोध्या वापस आ गए लेकिन किन्नरों को कोई सूचना न मिलने पर उन्होंने वहीं रुककर 14 साल राम के प्रतीक्षा की।"

"महाभारत काल में भीष्म का काल बना शिखंडी और अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने भी किन्नर रूप धारण किया था। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात एक विधवा राजकुमारी से हुई प्रेम संबंध की वजह से विवाह भी करना पड़ा। जिससे अरावन नाम की एक संतान हुई जिसे आज भी किन्नर समाज अपना पति मानता है।"

यह प्रसंग इस बात का संकेत है कि प्राचीन भारत में किन्नरों का अस्तित्व स्वीकार्य था। इसके अतिरिक्त, कामसूत्र में 'क्लाइब' या 'नपुंसक' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका संबंध स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर पहचान से जोड़ा जा सकता है।

2. मध्यकालीन भारत में किन्नरों की स्थिति–

मुग़ल शासनकाल में किन्नरों की सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। इस काल में किन्नर 'हिजड़ा' कहलाते थे और दरबारों में विशेष भूमिका निभाते थे। वे महलों की सुरक्षा, ख़ासकर ज़नानखाने की ज़िम्मेदारी संभालते थे क्योंकि उन्हें 'लैंगिक रूप से निष्क्रिय' माना जाता था। वे शाही परिवारों के विश्वासपात्र हुआ करते थे। मुग़ल सम्राट अकबर ने हिजड़ों को प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ दी थीं। बाबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब जैसे सम्राटों के दरबार में भी किन्नर खास पदों पर नियुक्त होते थे। "शाहजहां के शासनकाल में मुगल हरम का संरक्षक था किन्नर फिरोज खान। किन्नर फिरोज खान ने अपना मकबरा 'ताल फिरोज खान' का निर्माण करवाया था जो आज भी आगरा में मौजूद है।" वे सूचना के आदान–प्रदान, खुफिया तंत्र, और यहाँ तक कि कर संग्रहण तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

3. औपनिवेशिक भारत में स्थिति का पतन–

ब्रिटिष शासन ने भारतीय सामाजिक ढांचे को कानूनों और नैतिकता के अपने दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। यही वह समय था जब किन्नर समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में निर्णायक गिरावट आई। 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 लागू की गई, जिसमें समलैंगिकता को ''प्रकृति के खिलाफ अपराध'' करार दिया गया। यद्यपि यह सीधे तौर पर किन्नरों को लक्षित नहीं करता था, लेकिन इसके प्रभाव से उन्हें भी अप्राकृतिक और अस्वीकार्य माना जाने लगा। 1871 में Criminal Tribes Act के तहत हिजड़ों को ''जन्मजात अपराधी'' घोषित कर दिया गया। यह कानून किन्नरों के अस्तित्व को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी संदिग्ध बना देता था। उन्हें नियमित रूप से पुलिस में दर्ज करना होता था, और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन या मेल–जोल को अपराध माना जाता था।

ब्रिटिश शासन ने किन्नरों के पारंपरिक अधिकारों, जैसे नवजात के जन्म पर आशीर्वाद देना या विवाह–समारोहों में हिस्सा लेना, को असामाजिक मानते हुए प्रतिबंधित किया। इस दौर ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार, गरीबी और उपेक्षा की ओर धकेल दिया। इतिहास के पन्नों में किन्नर समुदाय कभी सम्माननीय स्थान पर था, तो कभी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। प्राचीन भारत में जहाँ उनका अस्तित्व प्राकृतिक और स्वीकार्य माना जाता था, वहीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने उनके अस्तित्व को कलंकित कर दिया। यह इतिहास आज भी उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। बदलते परिवेश के बीच यदि हमें किन्नर समुदाय की स्थिति में वास्तविक सुधार लाना है, तो इतिहास की इन गूंजों को समझना अनिवार्य है।

हिंदी साहित्य में उभरता किन्नर जीवन का सच–

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक परिवेश समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। किंतु इस बदलाव में किन्नर समुदाय को मुख्यधारा में स्थान दिलाना अब भी एक चुनौती बना हुआ

है। परंतु बीते कुछ दशकों में हिंदी साहित्य विशेषतः ने इस समुदाय के जीवन, संघर्ष, अस्मिता और अधिकारों को केंद्र में लाकर एक नया विमर्श प्रस्तुत किया है। यह विमर्श है किन्नर विमर्श। किन्नर समुदाय को आधार बनाकर लिखे गए साहित्य रचनाओं में निर्मला भुराड़िया की गुलाम मंडी (2014), चित्रा मुद्ग़ल की पोस्ट बॉक्स नम्बर 203 नालासोपारा (2016), लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कि मैं हिजड़ा में लक्ष्मी (2015), डॉ. दिलीप मेहरा की हिंदी साहित्य में किन्नर जीवन (2019), डॉ विजेंद्र प्रताप सिंह एवं डॉ0 रवि कुमार गोड़ की थर्ड जेंडर अस्मिता और संघर्ष (2020) आदि उल्लेखनीय है। इन साहित्य रचनाओं के पात्र केवल हास्य, रहस्य या हाशिये के नहीं रहे, बल्कि सामाजिक यथार्थ के संवेदनशील दस्तावेज़ के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

1. पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति

किन्नर समुदाय के सदस्यों को सबसे पहले जिस अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है, वह उनके अपने परिवार से होता है। जैसे ही किसी बच्चे में लिंग की असामान्यता प्रकट होती है, परिवार पर 'इज्जत', 'परंपरा' और 'समाज–लोग क्या कहेंगे' जैसे दबाव हावी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश किन्नर बच्चों को बचपन में ही त्याग दिया जाता है या वे स्वयं परिवार छोड़ देते हैं। निर्मला भुराड़िया कृत गुलाम मंडी उपन्यास में अंगूरी ऐसा ही हिजड़ा बालक है जो अपने परिवार से प्रताड़ित हो घर से निकल जाती है। अंगूरी ने कहा "आज तो मैं यही कहूँगी कि मैं दर–दर मारी फिरती थी क्योंकि मैं ऐसी थी ना। माँ को टी.बी. थी। उसके जीते जी बाप ने दूसरी षादी कर ली थी। छह भाई–बहन थे। मुझे एक को छोड़कर सब पूरे थे। मेरे दाढ़ी मूँछ नहीं निकले। आवाज छोरियों जैसी रह गई तो सब मेरे को मारते–चिढ़ाते– खिझाते थे। बाप भी जब देखो तब हाथ छोड़ देता था तो मैं घर से भाग गई।"

हालाँकि हाल के वर्षों में कुछ बदलाव अवश्य हुए हैं। शहरों में, विशेषकर शिक्षित परिवारों में, लिंग विविधता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कई परिवार अब ट्रांसजेंडर बच्चों को अपनाने, उन्हें शिक्षा दिलाने और सामान्य जीवन जीने का अवसर देने लगे हैं। लेकिन यह बदलाव सीमित और वर्ग–विशेष तक ही केंद्रित है।

2. शिक्षा और अवसर

शिक्षा, किन्नर समुदाय के लिए एक लंबा संघर्ष रहा है। स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों का मज़ाक उड़ाया जाना, शारीरिक उत्पीड़न, और अलगाव उन्हें शिक्षा से दूर कर देता है। बहुत से किन्नर शिक्षा अधूरी छोड़कर कम उम्र में ही समुदाय में शामिल हो जाते हैं। इससे उनके पास न तो पेशेवर कौशल होता है और न ही नौकरी के पर्याप्त अवसर। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा में बिन्नी उर्फ विनोद के मन में भी अधूरी शिक्षा को लेकर इसी प्रकार के टीस बनी हुई है। वह अपनी मां को लिखे पत्र में लिखता है कि,"अधूरी शिक्षा आड़े आ जाती है गाड़ियां मजबूरी में धोता हूँ।" गुलाम मंडी में हमीदा किन्नर भी इसी मानसिकता को उजागर करती हुई कहती है "स्कूल जाने की उम्र हो गई थी। कोई भर्ती करता क्या पाठशाला में? पहले पूछते मेल की फीमेल। अपनी वह शर्मिला है ना छोरा बनकर भर्ती हुई थी तो बहन जी ने एक दिन चड्डी उतरवा ली थी उसकी और जूते से मार के स्कूल से निकलवा दिया था उसको। उमराव गुरु के कुनबे ने शरण दी उसको वरना भूखी मर जाती वह भी।"

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.46

3. रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता–

पारंपरिक रूप से किन्नर समुदाय के सामने दो ही आर्थिक विकल्प होते थे कृ भिक्षावृत्ति या सेक्स वर्क। यह स्थिति आज भी काफी हद तक बनी हुई है। क्योंकि न तो उन्हें शिक्षा मिलती है, न ही समाज उन्हें नौकरी देने को तैयार होता है। किन्नरों के इसी दैनिक स्थिति के संबंध में लक्ष्मी लिखती हैं "हिजड़ो के पास बुद्धि नहीं होती? उसके पास प्रतिभा नहीं होती? बल नहीं होता? वह राजनीति में नहीं जा सकते? फौज में नहीं जा सकते? इन बातों को किन तरीकों के आधार पर तय किया गया? अपने कलाकारों, प्रतिभावानों को मजबूर कर दिया 50–50 रुपए में देह बेचने को,ताली बजाने को।"

4. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

किन्नर समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहद सीमित है। न तो उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ हैं, और न ही डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी लिंग विविधता की समझ रखते हैं। हॉस्पिटल्स में भी उन्हें अपमान, उपेक्षा और असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक घटना का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी लिखती है "एक हिजड़े पर वहां बलात्कार हुआ था जबकि पुलिस फरियाद सुनने को तैयार ही नहीं जबकि उसे हिजड़े की स्थिति नाजुक थी। डॉक्टर की हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से इलाज भी नहीं हो सकता था। बलात्कार के फरियाद करनी है तो जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच होनी चाहिए पर वह हो नहीं रही थी। स्थिति काफी गंभीर थी और सवाल सिर्फ हिजड़े का नहीं था पूरी कम्युनिटी का था हिजड़ों की तरफ देखने वाले, उनसे बर्ताव करने वाले समाज के नजरिया का था। हिजड़ों को चिढ़ाया जाता था, तिरस्कृत किया जाता था।"

मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और भी चिंताजनक है। बचपन से झेली गई अस्वीकृति, शोषण और अकेलापन उनमें डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, और नशे की लत को बढ़ावा देते हैं।

हिंदी साहित्य में उभरता किन्नर जीवन अब केवल संवेदना का विषय नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार बन चुका है। ये साहित्य रचनाएं न केवल पाठकों को किन्नरों की दुनिया से परिचित कराते हैं, बल्कि उनके संघर्षों, भावनाओं, और आशाओं को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यह साहित्यिक आंदोलन सामाजिक समावेशन, न्याय और समानता की दिशा में एक सशक्त कदम है।

कानूनी और संवैधानिक स्थिति

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है। परंतु जब बात किन्नर समुदाय की होती है, तो वास्तविकता इन अधिकारों से कोसों दूर दिखाई देती है। लिंग पहचान और लैंगिक विविधता के क्षेत्र में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलें की हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकृति की दिषा में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस खंड में हम किन्नर समुदाय से संबंधित प्रमुख कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों और उनकी व्यावहारिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे।

1. संविधान में समावेशिता की अवधारणा

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किन्नर समुदाय के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं–
अनुच्छेद 14– कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 15– जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 19(1)– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लिंग पहचान भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद 21– जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन शामिल है।

हालांकि, इन अनुच्छेदों में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से इन्हें इनके अधिकार दिलवाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई।

2. ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय– नालसा बनाम भारत सरकार (2014)

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय था–

मामला– National Legal Services Authority (NALSA) बनाम Union of India

"यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार "तीसरे लिंग"/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से मान्यता दी और 'लिंग पहचान' पर विस्तार से चर्चा की। न्यायालय ने माना कि तीसरे लिंग के व्यक्ति संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। इसके अलावा, इसने राज्य सरकारों को "तीसरे लिंग"/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को साकार करने के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया।"

इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को 'थर्ड जेंडर' के रूप में वैधानिक मान्यता दी और निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया–

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान 'पुरुष', 'स्त्री' या 'थर्ड जेंडर' के रूप में चुन सकता है।
- राज्य सरकारों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की सलाह दी गई।
- लिंग पहचान को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया।
- यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में समावेशिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।

3. ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

इस कानून को संसद ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

ट्रांसजेंडर की परिभाषा– "विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस–पुरुष और ट्रांस–महिला, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग–विचित्र और किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।"

पहचान पत्र– ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।

भेदभाव निषेध– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक स्थलों आदि में किसी भी प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी माना गया है।

पुनर्वास और कल्याण– सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की बात कही गई।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.46

भारत में किन्नर समुदाय के कानूनी अधिकारों की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रांसजेंडर अधिनियम ने उन्हें पहचान, गरिमा और सुरक्षा देने का प्रयास किया है। लेकिन इन कानूनों का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब सामाजिक सोच बदले, प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील बने, और इन अधिकारों के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाए। केवल कागज़ों पर अधिकार होना पर्याप्त नहीं, ज़रूरत है ज़मीन पर उनके प्रभावशाली और प्रभावी क्रियान्वयन की।

सुझाव– समाज और शासन दोनों को यह समझना होगा कि किन्नर समुदाय का समावेश केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने से संभव है। इसके लिए निम्नलिखित ठोस उपाय अपनाए जाने चाहिए–

1. शिक्षा में समावेशिता

- स्कूलों में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
- शिक्षकों और छात्रों को लिंग विविधता पर संवेदनशील बनाना।
- ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, रिमेडियल कक्षाएँ, और कैरियर मार्गदर्शन की सुविधा देना।

2. रोजगार के अवसर

- सरकार और निजी क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण या प्रोत्साहन।
- स्वरोज़गार के लिए आसान ऋण, कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र।
- ट्रांसजेंडर–फ्रेंडली कार्यस्थल नीति को अनिवार्य बनाना।

3. स्वास्थ्य सेवाएँ सुधारना

- सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर हेल्थ डेस्क की स्थापना।
- डॉक्टरों और स्टाफ को लिंग पहचान से जुड़ी चिकित्सा व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशिक्षण देना।

4. कानूनी अधिकारों की प्रभावी क्रियान्वयन

- ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत योजनाओं का राज्य स्तर पर प्रभावी पालन।
- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल, डिजिटल और अपमानरहित होनी चाहिए।
- पुलिस और न्यायपालिका को ट्रांसजेंडर अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना।

5. सामाजिक जागरूकता और मीडिया की भूमिका

- जनसंचार माध्यमों में ट्रांसजेंडर समुदाय की सकारात्मक और यथार्थपूर्ण छवि प्रस्तुत करना।
- स्कूलों और कॉलेजों में लिंग समानता पर कार्यशालाएँ, नुक्कड़ नाटक और संवाद आयोजित करना।

निष्कर्ष–

भारत का किन्नर समुदाय एक ऐसा वर्ग है, जो सदियों से समाज की उपेक्षा, भेदभाव और हिंसा का शिकार होता आया है। बदलते समय और संवैधानिक प्रगति के साथ उनके अधिकारों की बात अवश्य हुई है, परंतु वास्तविकता यह है कि उनका जीवन अब भी संघर्षों की लंबी दास्तान है। सामाजिक परिवेश में धीरे–धीरे जागरूकता बढ़ी है और मीडिया ने उनकी छवि को नए संदर्भों में

प्रस्तुत करना शुरू किया है। न्यायपालिका ने 'थर्ड जेंडर' की कानूनी मान्यता देकर उनके अस्तित्व को वैधता प्रदान की है और सरकार ने ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जैसे कानून लागू किए हैं। परंतु इन प्रयासों के बावजूद ज़मीनी सच्चाई यही है कि किन्नर समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मानजनक जीवन और समान अधिकारों से वंचित है।

''बदलते परिवेश के बीच किन्नर जीवन का सच'' यह बताता है कि वास्तविक समावेशिता तभी संभव है जब किन्नर समुदाय को समाज का समान और गरिमापूर्ण हिस्सा माना जाए। यह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है– सरकार, समाज, शैक्षणिक संस्थान, मीडिया और नागरिकों की– कि वे मिलकर एक ऐसा भारत बनाएँ जहाँ किसी की पहचान उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बने। समय आ गया है कि हम 'सहानुभूति' से आगे बढ़कर 'समानता' की दिशा में ठोस कदम उठाएँ।

संदर्भ

1. मेहरा, दिलीप, (2019), हिंदी साहित्य में किन्नर जीवन, नयी दिल्ली–वाणी प्रकाशन,
2. सिंह, विजेंद्र प्रताप एवं गोंड, रविकुमार, (2020), थर्ड जेंडर अस्मिता और संघर्ष, कानपुर : अमन प्रकाशन।
3. https://itihasnama.com/our-chepter/eight-famous-eunuchs-of-mughal-history-they-had-power-from-harem-to-royal-court#:~:text=%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%B2%20%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A5%80,%E0%A4%AD%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%20%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%A5%E0%A5%80%E0%A4%82%E0%A5%A4
4. भुराड़िया, निर्मला, (2022), गुलाम मंडी, नयी दिल्ली : सामयिक प्रकाशन.
5. मुद्‌गल, चित्रा, (2016), पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा, नयी दिल्ली : सामयिक प्रकाशन।
6. त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, (2015), मैं हिजड़ा. मैं लक्ष्मी!(शशिकला राय, सुरेखा बनकर), नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
7. https://translaw.clpr.org.in/case-law/nalsa-third-gender-identity/
8. https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019